

कार्यालय

पत्रांक-32-19 /न्याय सहायक/कोरोना यायरस/2020  
मा० जिला एवं सत्र न्यायालय,

बुलन्दशहर।

महोदय,

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 11.07.2020

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ प्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियम प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थेट लैविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत करना है कि मा० मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है—

शहरी क्षेत्र-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वही पर 250 मीटर के रेफिल्स में अधिक पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेफिल्स में कन्टेनमेंट जोन होगा उच्चा उसके उपरान्त 250 मीटर में छफर जोन भी होगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटीयों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी—
  - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
  - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंकेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
  - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सीनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सीनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
  - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सीनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
  - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
  - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में दिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहीं पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पहने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे। प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एलआईयू/सी-34/2020 दिनांक 11.07.2020 में अवगत कराया गया है कि “विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कठिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।”

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 89 हॉट स्पॉट चिनित कर सील किये गये हैं, जिनमें 14-मौ० देवीपुरा-१, बुलन्दशहर, मौ० राधानगर बुलन्दशहर, हीरापुर कालोनी, निकट ऋषि पैलेस बुलन्दशहर, आवास विकास द्वितीय 14-मौ० देवीपुरा-१, बुलन्दशहर, मौ० राधानगर बुलन्दशहर, हीरापुर कालोनी, निकट ऋषि पैलेस बुलन्दशहर, आवास विकास द्वितीय यमुनापुरम फेज-२ बुलन्दशहर, बीसा कालोनी बुलन्दशहर, मौ० प्रेमनगर, बुलन्दशहर, मौ० तेलीबाड़ा, अम्बर सिनेमा के पीछे,

पर एवं नगर पंचायत क्षेत्र बुलन्दशहर, दुर्गापुरम नगर पंचायत क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 75 हॉटस्पॉट-मौजूद सदर, मौजूद सरोका बाजार गुलाबी तहसील सदर, मौजूद टीचर्स कालीनी वार्ड सं-21 सिकन्दाबाद, मौजूद होली बहननन खुर्जा, मौजूद हस्तियाद सिकन्दाबाद, नगला सारंगपुर का माजरा, विठ्ठल पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम फरीदपुर, विठ्ठल व तहसील सिकन्दाबाद, ग्राम गेहूपुर विठ्ठल व तहसील सिकन्दाबाद, मौजूद मुकरबा, खुर्जा, मौजूद भोते की चौपाल, ग्राम कल्मोना विठ्ठल ऊँचा गांव व तहसील स्थान, मौजूद चौधरियान स्थान, मौजूद मुफ्तीवाडा शिकारपुर, मौजूद घन्दलोक कालीनी (नवलपुर) खुर्जा, मौजूद दुर्ज उस्मान खुर्जा, मौजूद डकबरबद स्थान, ग्राम अगवाल, विठ्ठल व तहसील खुर्जा, ग्राम नगला ढकोली, विठ्ठल व तहसील बुलन्दशहर, झज्जा कालीनी औरगाबाद, ग्राम शिवाली/किशनपुर, विठ्ठल लखावटी व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम लौहलाला, विठ्ठल अगीता व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम किला मेहड़ विठ्ठल व तहसील खुर्जा, ग्राम दौलतपुर खुर्द डिवाई, मौहल्ला चौहटी स्थान, ग्राम नॉगलौर विठ्ठल लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम गालिबपुर, विकास खण्ड दानपुर तहसील डिवाई, बिलाल मस्जिद वाली गली, खुर्जा, केशवपुरी, खुर्जा, ग्राम गौंगरोल विठ्ठल व तहसील सिकन्दाबाद, मौजूदपुरा बाजार जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, मौजूदखारोबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम बरादी विठ्ठलजग्नील व तहसील बुलन्दशहर, मौजूदपेटी वार्ड नं 11 पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम कलीती, विठ्ठल व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सूजापुर घैमेड विठ्ठल अगीता तहसील बुलन्दशहर, मौजूदश्याम, ककोड तहसील सिकन्दाबाद, नई बहती नगर पंचायत औरगाबाद तहसील बुलन्दशहर, गंज सादात शिकारपुर, मौजूद काजीवाडा शिकारपुर, कायमपुर/भटोना, विठ्ठल गुलावटी, तहसील बुलन्दशहर, काशीचान आवासीय कालीनी कालिन्दी कुंज खुर्जा, न्यू शिवपुरी खुर्जा, मौजूद काजीखेल, नगर पंचायत पहासू तहसील शिकारपुर, मौजूदहीद स्मारक, ग्राम ऊरकाली, विठ्ठल बी०बी०नगर तहसील स्थान, मौजूदीनदयाल पार्क, वार्ड नं०-८ नगर पंचायत बी०बी०नगर तहसील स्थान, मौजूदुराना डाकघासन, स्थान, ग्रा विंगराऊ विठ्ठल व तहसील खुर्जा व मौजूद्रेम नगर, बुलन्दशहर, ग्राम ढरौरा विश्वनाथपुर विठ्ठल दानपुर तहसील डिवाई, मौजूद नहाड़ डिवाई, मौजूद तेलीबाड़ा, अम्बर सिनेमा के पीछे बुलन्दशहर, ब्रह्म दरवाजा, मेन बाजार बी०बी०नगर तहसील स्थान, कुन्हारों का मौहल्ला, ग्रा विंगराऊ विठ्ठल व तहसील स्थान, ग्राम आंचरु खुर्द, विठ्ठल व तहसील शिकारपुर, मौजूदटिकाना ग्राम मुनि, विठ्ठल जर्निया तहसील खुर्जा, गली नं०-२ मुरारी नगर शिकारपुर रोड खुर्जा, ग्राम तेलिया नगला विठ्ठल व तहसील अनूपशहर, ग्राम जटपुर मुकीमपुर विठ्ठल तहसील शिकारपुर, मौजूदठान टोला, तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरापुर खाजपुर विठ्ठल व तहसील बुलन्दशहर, जाटव वाला नैहल्ला, ग्राम गजरीला विठ्ठल ऊँचागाँव तहसील स्थान, प्राईमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम बनभीरा विठ्ठल ऊँचागाँव तहसील स्थान, मौजूदीनदया शिकारपुर तहसील शिकारपुर, ग्राम आजमपुर उर्फ तोरई, विठ्ठल व तहसील अनूपशहर, मौजूदपित्रपुरी अनूपशहर, मौजूद नेहरूगंज अनूपशहर, मौजूद पुरानी मण्डी अनूपशहर, मौजूद मीरा, अनूपशहर, मौजूदसैदगढ़ी नगर पंचायत औरगाबाद तहसील सदर बुलन्दशहर, मौजूदनदयागाँव विठ्ठल अगीता तहसील सदर बुलन्दशहर, ग्राम सीही विठ्ठल अगीता तहसील सदर बुलन्दशहर, ग्राम सनेता शफीपुर विठ्ठल व तहसील खुर्जा बने हैं, जिनमें पाये गये पौजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 11.07.2020 तक जनपद में कोरोना पौजिटिव की संख्या-872 है, 274 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है जनपद में 24 कोरोना संक्रित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।  
महोदय यहाँ यह भी अवगत करना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं के छोड़कर शोष बाजार बन्द करने के निर्देश हैं। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काय लोग न्यायालय में पहुँचें, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

*11/07/2020*  
अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

*अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।*

स्थानीय

समाज-एल.आई.ग्र./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-जुलाई 11, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कठिपप्प दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना सर्वीचीन होगा।

✓ प्रभारी निरीक्षक  
स्थानीय अभिसूचना इकाई  
बुलन्दशहर